वनभूमि की मांग का औचित्य

परियोजना का नामः– **जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताड़ीखेत में सौनी– देवलीखेत– ड्योड़खाल– सिलोर महादेव मोटर मार्ग के कि.मी. 10 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (वास्त. लम्बाई 7.85 कि.मी.) (2.205 है0)**

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति शासनादेश सं. 4089/III(2)/15–23(प्रा.आ.)/2013 दिनांक 16.05.2015 के द्वारा 9.00 किमी. लम्बाई हेतु ₹ 52.65 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। मार्ग निर्माण से ग्राम पस्तौड़ापार, पस्तौड़ावार, रैली ब्याली तथा टाना इत्यादि के ग्रामीणो को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। मार्ग निर्माण हेतु स्थल पर सर्वेक्षण कार्य कराया गया है परन्तु इस मार्ग निर्माण हेतु ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नही है जिसमें मार्ग निर्माण से वन भूमि प्रभावित नही होती है। स्थल पर मार्ग निर्माण हेतु ऐसा समरेखंण प्रस्तावित किया गया है जिसमें न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होती हो।

इस मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखण पर मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 7.85 कि.मी. है। प्रस्तावित समरेखंण में 0.495 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.1025 है0 वन पंचायत भूमि तथा 0.6075 है0 सिविल बेनाप सहित कुल 2.205 है0 वन भूमि प्रभावित होती है। इस हेतु कुल 2.205 है0 वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता	*सहायक अभियन्ता,*	*अधिशासी अभियन्ता,*
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,	*प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,*	*प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,*
रानीखेत	*रानीखेत*	*रानीखेत*